कितने उचित हैं टाइगर फार्म?

निकी ज़ेवियर

चीन में बाघ के अंगों का इस्तेमाल सदियों से पारम्परिक दवाइयों में होता आया है। उनका उचित संरक्षण भी ज़रूरी है। जंगलों में बाघ को बचाने के अलावा अंगों की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु चीन में टाइगर फार्म्स भी स्थापित किए जा रहे हैं।

बाघों की खेती...! यह सुनकर थोड़ा अचरज हो सकता है, लेकिन चीन में यही हो रहा है। वहां बाघ के अंगों के व्यापक इस्तेमाल की वजह से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थिति यह है कि जहां दुनिया भर के जंगलों में बाघों की संख्या 1500 से भी कम है, चीन के फार्मों में इनकी संख्या करीब 4000 है।

बाघों के शिकार और उनके प्राकृत वासों के संरक्षण के अभाव में जंगलों में उनकी संख्या में गिरावट आती गई है। बाघ के अंगों का अवैध व्यापार भी इनके शिकार को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार है। चीन में बाघ के अंगों का इस्तेमाल सदियों से पारम्परिक दवाइयों में होता आया है। वहां बाघों के व्यापार को कानूनी जामा पहनाने और शिकार को व्यावसायिक रूप देने की वजह से ही टाइगर फार्मों की संख्या में इजाफा हुआ है।

स्वाभाविक रूप से दुनिया भर के संरक्षणवादियों और पशु प्रेमियों ने इस टाइगर फार्मिंग की प्रथा के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। हाल ही में नीदरलैंड्स में 'साइट्स' (CITES) की बैठक में भी चीन की इस कवायद का ज़ोरदार विरोध किया गया था। इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की चिंता का सबब यही था कि एक तरफ जंगलों में तो बाघों की संख्या कम होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर फार्मों में इनकी आबादी ज़रूरत से भी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा चीनी दवाइयों में बाघ के अंगों के इस्तेमाल को भी स्वीकार नहीं किया गया।

हालांकि जहां तक चीनी दवाइयों में बाघ के अंगों का इस्तेमाल का सवाल है, यह बहुत अजीब बात भी नहीं है। कई एलोपैथिक दवाइयों में भी जानवरों से प्राप्त सत्व का प्रयोग किया जाता है। मुद्दे की बात तो यह है कि जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका उचित संरक्षण भी ज़रूरी है, भले ही फिर वह बाघ हो या अन्य कोई प्राणी। खासकर, कम होते जा रहे संसाधनों के बेहद बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल की दरकार होती है। इसी में मानवजाति की भलाई है।

चीनी लोगों का मानना है कि बाघ के अंगों के इस्तेमाल से मर्दानगी और प्रजनन क्षमता में इजाफा होता है। उन्हें इससे कोई लेना-देना नहीं है कि इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक आधार है अथवा नहीं। वैसे, खुद चीन की सरकार फिलहाल उन पारम्परिक चीनी दवाइयों के वैज्ञानिक मूल्य का पता लगाने का प्रयास कर रही है, जिनमें बाघ अंगों का इस्तेमाल होता है। इसका मकसद चीनी दवाइयों को विश्वसनीयता की कसौटी पर परखना है।

लेकिन चीन में मौजूदा स्थिति यह है कि काफी प्रयासों के बाद भी जंगलों में बाघों का अस्तित्व सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इसके लिए ज़रूरत है निगरानी की सख्त प्रणाली और शिकार पर नियंत्रण के कड़े कानून की। इसके अलावा जीन टैगिंग तकनीक का भी सहारा लिया जा सकता है जिससे जंगलों और फार्मों के बाघों से प्राप्त अंगों की पहचान करके बताया जा सकता है कि अमुक अंग किस बाघ का है।

इस प्रकार चीन और अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों

की सरकारों को जंगलों में बाघों को संरक्षित करने के प्रयास तेज़ करने के साथ-साथ टाइगर फार्म स्थापित करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। टाइगर फार्म अपने आप में बुरे नहीं हैं, बशर्ते उनमें जानवर के संरक्षण सम्बंधी नियमों का सख्ती से पालन हो। सरकारों को इस सम्बंध में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

भारत भी चीन का अनुसरण कर सकता है। वह बाघों के संरक्षण व उनके प्रजनन के लिए टाइगर फार्म स्थापित करने की पहल कर सकता है। हालांकि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इन फार्मों का व्यावसायिक इस्तेमाल न होने लगे। कम से कम उस समय तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि बाघों के अंगों का दवाई के रूप में इस्तेमाल वैज्ञानिक रूप से तर्कसंगत है। ***(स्रोत फीचर्स)***